SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

चंदौली जिले के सदर प्रखंड के दलित मजदूरों के प्रवासन पर मनरेगा का प्रभावः ग्राम सभा परासी कलां (गोपई) का अनुभवमूलक अध्ययन

मंजीत तिवारी, शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
मंजीत तिवारी, शोध छात्र
E-mail : manjittiwari7@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 02/11/2024
Revised on : 02/01/2025
Accepted on : 11/01/2025
Overall Similarity : 08% on 03/01/2025

शोध सार

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रभाव का अध्ययन करना है, विशेष रूप से चंदौली जिले के सदर प्रखंड के दलित मजदूरों के प्रवासन पर। यह अध्ययन ग्राम सभा परासी कलां (गोपई) के दलित मजदूरों पर केंद्रित है, जो परम्परागत रूप से आजीविका तथा रोजगार के लिये प्रवासन का सहारा लेते हैं। मनरेगा के क्रियान्वयन के बाद से उनके जीवन में आए बदलावों को समझने के लिए अनुभवमूलक अध्ययन का सहारा लिया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में दलित मजदूरों जिनमें 350 पुरुष एवं महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अलग – अलग अध्ययन किया गया है। इस शोध कार्य में आंकड़ा संग्रहण की मिश्रित विधि को अपनाया गया है जिसका निष्कर्ष यह है कि मनरेगा ने दलित वर्ग के प्रवासन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है जिसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के प्रवासन दर में कमी आयी है, लेकिन कार्य दिवसों की संख्या कम होने तथा मजदूरी भुगतान समय पर न मिलने के कारण मजदूर प्रवासित होने के लिए बाध्य हैं। इसके लिए कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि तथा मजदूरी भुगतान तंत्र में सुधार हेतु सुझाव भी दिया गया है जो इस योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्य शब्द

मनरेगा, प्रवासन, दलित मजदूर, आजीविका, परासी कला.

परिचय

चंदौली जिले का सदर प्रखंड मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, जहां अधिकांश मजदूर दलित समुदाय से आते हैं। इन मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर सीमित

होते हैं, जिस कारण वे अक्सर प्रवासन का सहारा लेते है। मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल कार्य करने के लिए स्वैच्छिक रूप से कार्य उपलब्ध कराया जाता है। 2005 में मनरेगा की शुरुआत ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार का अधिकार दिया, जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार मिले और उन्हें प्रवास करने की आवश्यकता न पड़े। मनरेगा ने प्रारम्भ से ही अकुशल मजदूरों को स्थानीय रूप से रोजगार उपलब्ध करवाया जिससे उनका अनैच्छिक प्रवासन कम हुआ तथा वे मौसमी रोजगार के अवसर समाप्त होने के पश्चात भी अपने परिवार के साथ बने रहे। इस प्रकार मनरेगा ने मजदूरों के पलायन को रोककर उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है जो काफी हद तक सफल भी रहा है। ग्रामीण प्रवासन से तात्पर्य बेहतर आर्थिक अवसरों, आजीविका और रहने की स्थिति की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी या अर्ध–शहरी क्षेत्रों में लोगों के स्थानांतरण से है। यह घटना भारत सहित कई देशों में देखी गई है, जहां ग्रामीण–शहरी प्रवासन के कारण जनसंख्या गतिशीलता, आर्थिक विकास और सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ग्रामीण प्रवास के कुछ सामान्य कारणों में शामिल हैं,जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं रोजगार के अवसरों की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच, कृषि संकट, फसल की विफलता, और कृषि आय में गिरावट, पर्यावरणीय क्षरण और प्राकृतिक आपदाएँ तथा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जैसे पारिवारिक संबंध तथा रिश्तेदारी इत्यादि है। लेकिन इधर कुछ वर्षों से सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की कुछ योजनाओं के कारण ग्रामीण प्रवासन में कमीं आयी है जिनमें मनरेगा एक प्रमुख आर्थिक सुरक्षा योजना है। वस्तुतः मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी पात्र ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देना है।

साहित्य समीक्षा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है, और इसके प्रभाव पर कई अध्ययनों ने ध्यान केंद्रित किया है। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मनरेगा ने दलित मजदूरों के प्रवासन पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रभाव डाला है।

बागची (2011) "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" नामक पुस्तक में (मनरेगा) रोजगार के अधिकार के रूप में" इसके प्रभाव और प्रभावशीलता का आकलन किया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को संवर्द्धित मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। उन्होंने पहचान की कि यह कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में सीमित सफलता दे रहा है।

काजले और श्रॉफ (2011) ने रोजगार सृजन, मजदूरी पर मनरेगा के प्रभाव का आकलन किया। अंतर ग्रामीण से शहरी प्रवासन, परिसंपत्ति निर्माण, भागीदारी के निर्धारक और कार्यान्वयन के संदर्भ में महाराष्ट्र के पांच जिलों के अध्ययन के आधार पर कहा गया है कि इस योजना ने संतोषजनक परिणाम नहीं दिए हैं, लेकिन रोजगार सृजन और टिकाऊ संपत्ति निर्माण तथा खाद्य सुरक्षा के मामले में मनरेगा योजना ने अच्छा प्रदर्शन किया है साथ ही साथ गरीबी और ग्रामीण पलायन को भी कम करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

केशलता (2014) ने कहा कि मनरेगा कार्यक्रम ने आदिवासी परिवारों को रोजगार प्रदान करके लाभान्वित किया जिससे आदिवासी महिलाओं के जीवनस्तर में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया है कि आदिवासी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मनरेगा श्रमबल में ज्यादा भागीदारी रही है।

उक्त पूर्व अध्ययनों के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के व्यापक प्रभाव तथा उससे प्राप्त निष्कर्ष का विश्लेषण प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

अनुसंधान के उद्देश्य

यह अध्ययन चंदौली जिले के परासी कलां (गोपई) के दलित मजदूरों के प्रवासन पर पड़ने वाले प्रभावों की गहन जांच करने के लिए निम्नांकित उद्देश्यों पर केंद्रित है:

1. यह समझना है कि मनरेगा के क्रियान्वयन से पहले चंदौली जिले के परासी कलां ग्राम के दलित मजदूरों का प्रवासन कैसे होता था।
2. मनरेगा के तहत उपलब्ध रोजगार ने परासी कलां के मजदूरों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव डाला है इसकी जांच करना।
3. परासी कलां ग्राम के दलित मजदूरों के प्रवासन में कमी के लिए मनरेगा कितनी हद तक प्रभावी साबित हुआ है, इसका गहन विश्लेषण करना।
4. ग्राम सभा परासी कलां (गोपई) में दलित मजदूरों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान करना एवं उसका समाधान सुझाना।

शोध की पद्धति

यह अध्ययन अनुभवमूलक के साथ मिश्रित परम्परागत शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। ग्राम सभा परासी कलां के दलित मजदूरों से साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई है। इसके अलावा, मनरेगा के विभिन्न दस्तावेज़ों और सरकारी रिपोर्टों का भी अध्ययन किया गया।

आंकड़ा स्रोत

प्राथमिक आंकड़े

350 दलित मजदूरों जिनमें 200 पुरुषों तथा 150 महिलाओं का सामूहिक तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार,मनरेगा में कार्यरत मजदूरों का सर्वेक्षण, प्रश्नावली के माध्यम से उत्तर संग्रहण इत्यादि किया गया है।

गुणात्मक आंकड़े

इसमें 40 दलित महिलाओं तथा 60 दलित पुरुषों (कुल=100) का गहन साक्षात्कार तथा 200 दलित पुरुषों एवं महिलाओं का संरचित प्रश्नावली के माध्यम से उत्तर प्राप्त किया गया है।

द्वितीयक आंकड़े

मनरेगा की वार्षिक सरकारी रिपोर्ट, जिला श्रम कार्यालय की रिपोर्ट तथा अन्य संबंधित दस्तावेज़, पुस्तकें और शोध पत्र इत्यादि से आंकड़ो को संग्रहित किया गया है।

मनरेगा का शुभारम्भ 2 फरवरी, 2006 को आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के नरपाला मण्डल की बादंलापल्ली ग्राम पंचायत में किया गया। योजना का प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों व द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2007 को अन्य 130 जिलों में लागू किया गया। 01 अप्रैल, 2008 से इसे अन्य 113 जिले अधिसूचित कर दिया गया। मनरेगा पहला ऐसा केंद्रीय अधिनियम है जिसमें योजनाएं बनाने उन्हें पास करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार पंचायतों के पास है। इस प्रकार यह एक महत्वाकांक्षी और विकास कार्यों को करने के लिए अभिनव प्रयोग है। प्राप्त आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2023–24 तक भारत में कुल मनरेगा श्रमिक 25,76,69,105 हैं जिनमें 14,32,93,615 सक्रिय श्रमिक जिसके तहत 3,00,05,14,361 मानव कार्य दिवसों का सृजन किया जा चुका है। पूर्व की रोज़गार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा का उद्देश्य अधिकार–आधारित ढाँचे के माध्यम से चरम निर्धनता के कारणों का समाधान करना है। मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त है, जिसमें विफल होने पर उसे 'बेरोज़गारी भत्ता' प्रदान किया जाता है। इन कार्यों के योजना निर्माण और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ सौंपकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सशक्त करने पर बल दिया गया है।

मनरेगा के मुख्य उद्देश्यों को अगर हम देखें तो इनमें रोजगार के अवसर के उपलब्धता के द्वारा सर्वाधिक वंचितों को आजीविका की सुरक्षा देना साथ ही टिकाऊ विकास स्वरूप गांव के परिसम्पत्तियों का सृजन, उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण, और अधिक भूमि उत्पादकता के जरिये गरीबों की आजीविका की सुरक्षा करना। अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण भारत में सूखा–रोधन एवं बाढ़ नियंत्रण,अनेक आजीविका संबंधी कार्यों में समन्वय के माध्यम से विकेन्द्रीकृत एवं भागीदारी पूर्ण नियोजन को सुदृढ़ करना,पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करके तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र कायम करना और इसके साथ ही शासन में बेहतर पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना तथा अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के जरिये सामाजिक रूप से वंचितो विशेषतः महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना इत्यादि। मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत आरंभ किये जाने वाले कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपा गया है और इन कार्यों को कम–से–कम 50 प्रतिशत उनके द्वारा ही निष्पादित किया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत आने वाले कार्यों को भारत सरकार पत्र दिनांक 20 दिसम्बर 2013 के अनुसार मनरेगा के संभावित कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों नामतः ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया है। श्रेणी 'ए' की गतिविधियों में निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधन आधारित सामुदायिक कार्य किये जाते हैं जैसेः– प्रथम, जल संरक्षण संरचनाएं जैसेः चौक डैम, अर्दन डैम, स्टॉप डैम और भूमिगत डाइक इत्यादि। द्वितीय,जल ग्रहण प्रवर्धन जैसे– कन्टूर ट्रेंच, टेरेसिंग, कन्टूर बंध,बोल्डर चेक डैम गेबियन स्ट्रक्चर इत्यादि। तृतीय,सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई संरचना कार्य जिनमें सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई संरचना निर्माण कार्य तथा सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई संरचना नव निर्माण एवं देखरेख कार्य इत्यादि। चतुर्थ, परम्परागत जलस्रोतों का पुनर्जीवीकरण कार्य जिनमें सिंचाई टैंक तथा जलस्रोतों की सिल्ट सफाई कार्य होते हैं। अन्य कार्यों में ग्रामीण भूमियों का वनीकरण करना जिसमें, उभयनिष्ठ भूमियों पर पौधरोपण तथा उद्यानिकी कार्य तथा सड़कों के किनारे, नहरों के मेड़ों पर और नदियों के तटबन्धों पर पौधों को उठाना इत्यादि तथा उभयनिष्ठ भूमियों पर चारागाह तथा भूमि विकास का करना आदि।

श्रेणी 'बी' की गतिविधियों में निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया जाता हैः जिनमें कमजोर वर्गों के लिए व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों का सृजन करना जैसे,कुआं खुदाई कार्य,खेत तालाब, तथा जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य। आजीविका का विकास कार्य जैसे उद्यानिकी, रेशम कीट पालन, पौध रोपण और फार्म फॉरेस्ट्री इत्यादि शामिल हैं। साथ ही परती और ऊसर भूमि का विकास करना तथा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भौतिक संसाधन निर्माण जिनमें मुर्गी फार्म निर्माण, भेड़ा फार्म निर्माण, गोशाला निर्माण, सुअरा फार्म और चारा नाद का निर्माण इत्यादि करना एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए भौतिक संसाधनों जैसे–फिश ड्राइंग याड्र्स और फिश संग्रहण सुविधाओं का निर्माण किया जाना।

श्रेणी 'सी' की गतिविधियों में निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया जाता है,राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के उभयनिष्ठ भौतिक संसाधनों का सृजन कार्य जैसे, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर निर्माण कृषि उत्पादन के भंडारण के लिए कंक्रीट निर्माण कार्य।

श्रेणी 'डी' की गतिविधियों में निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया जाता है, ग्रामीण स्वच्छता कार्य जिनमें; व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, विद्यालय शौचालय यूनिट तथा आँगनवानी तथा सामुदायिक शौचालय निर्माण साथ ही बारहमासी सड़कों का जुड़ाव जिनमें पक्की सड़क और पक्की आंतरिक सड़क एवं मोहल्ला सड़क जिनमें साइड नालियां और कलवर्ट शामिल हैं इसके साथ खेल मैदान का निर्माण और उनका रखरखाव। आपातकालीन प्रबंधन और पुनर्वास कार्य जैसे बाढ़ नियंत्रण, जल निकास और तटीय क्षेत्रों में तूफान जल ड्रेन का निर्माण कार्य। भवन निर्माण कार्य जिसमें; ग्राम पंचायत भवन, महिला स्वयं सहायता समूह के फेडरेशन हेतु भवन, ग्रामीण हाट, श्मशान भवन,कब्रिस्तान बाउंडरी वाल, आँगनवाणी भवन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भवन का निर्माण कार्य। अन्न संग्रहण संरचना जिनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लिए खाद्यान्न भंडार गृह की स्थापना। देखरेख संबंधी कार्य भी इसमें शामिल हैं जिनमें मनरेगा के तहत सृजित परिसम्पत्तियों का समुचित देखभाल किया जाता है।

अतः इस प्रकार हम उपरोक्त कार्यो की सूची के माध्यम समझ सकते हैं कि मनरेगा में वर्णित विभिन्न कार्यो

के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाता है जो बेरोजगारी को कम करने के साथ – साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है जिससे ग्रामीण प्रवासन में कमी आ रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है। यह कार्यक्रम 2005 में शुरू किया गया था और इसका ग्रामीण भारतीयों के जीवन पर महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव पड़ा है।

आंकड़ा विश्लेषण

निम्न आंकड़ों का संग्रहण प्रश्नावली विधि तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक साक्षात्कार के माध्यम से किया गया है जिसका परिणाम पर चर्चा भी की गई है:

तालिका 01

क्रमांक	प्रश्न	दलित महिलाएं (N=80)	दलित पुरुष (N=120)	कुल (N=200)
1.	क्या मनरेगा के पूर्व आपने कभी प्रवास किया है?	हां (N=20) नहीं (N=60)	हां (N=88) नहीं (N=32)	कुल प्रवासी (N=108) जिन्होंने प्रवास नहीं किया (N=92)
2.	मनरेगा में आपको 100 दिन का काम मिला?	हां (N=37) नहीं (N=43)	हां (N=64) नहीं (N=56)	कुल जिन्हें 100 दिन का काम मिला (N=101), नहीं मिला (N=99)
3.	क्या मनरेगा ने आपके आजीविका की समस्या का स्थानीय समाधान किया?	हां (N=30) नहीं (N=50)	हां (N=61) नहीं (N=59)	कुल हां (N=91) कुल नहीं (N=109)
4.	क्या मनरेगा के लागू होने के पश्चात आपने कभी प्रवास किया?	हां (N=13) नहीं (N=67)	हां (N=44) नहीं (N=76)	कुल हां (N=57) कुल नहीं (N=143)
5.	क्या मनरेगा कार्य का भुगतान समय पर मिला?	हां (N=20) नहीं (N=17)	हां (N=34) नहीं (N=30)	कुल हां (N=54) कुल नहीं (N=47)

(स्रोतः प्राथमिक समंक)

परिणाम एवं चर्चा

तालिका 01 के उत्तर और आंकड़ों का विश्लेषण हमें मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के प्रभाव और उसकी कार्य क्षमता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, विशेषकर दलित महिलाओं और पुरुषों के संदर्भ में।

1. **प्रवास पर प्रभावः** परासी कलां के मनरेगा के पूर्व, कुल 108 दलित वर्ग के लोगों ने प्रवास किया (20 महिलाएं और 88 पुरुष), जबकि 92 लोगों ने नहीं किया। यह दर्शाता है कि पुरुषों में प्रवासन की प्रवृत्ति महिलाओं की तुलना में अधिक थी।
2. **100 दिनों का कामः** कुल 101 लोगों को 100 दिन का काम मिला (37 महिलाएं और 64 पुरुष), जबकि 99 लोगों को नहीं मिला। यह बताता है कि लगभग समान संख्या में लोग 100 दिन के काम से वंचित रहे, जो मनरेगा के कार्यान्वयन में चुनौतियों की ओर संकेत करता है।
3. **आजीविका समाधानः** 91 लोगों ने माना कि मनरेगा ने उनकी आजीविका की समस्या का समाधान किया, जबकि 109 लोगों ने नहीं माना। यहां, नकारात्मक प्रतिक्रिया (109) सकारात्मक प्रतिक्रिया (91) से अधिक है, जिससे पता चलता है कि मनरेगा के माध्यम से आजीविका समस्या का समाधान प्रभावी रूप से नहीं हो सका।
4. **प्रवास मनरेगा के लागू होने के पश्चातः** मनरेगा लागू होने के पश्चात केवल 57 लोगों ने प्रवास किया

(13 महिलाएं और 44 पुरुष), जबकि 143 लोगों ने प्रवास नहीं किया। इसका मतलब है कि मनरेगा ने प्रवासन को काफी हद तक कम किया, विशेषकर महिलाओं के लिए।

5. **समय पर भुगतानः** कुल 54 लोगों को समय पर भुगतान मिला (20 महिलाएं और 34 पुरुष), जबकि 47 लोगों को नहीं मिला। यह एक मिश्रित परिणाम दिखाता है, जिससे संकेत मिलता है कि भुगतान की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता हो सकती है।
6. **प्रवास में कमीः** प्रवास के मामलों में कमी मनरेगा के सकारात्मक प्रभाव को दिखाती है, खासकर महिलाओं के लिए, जो अपने गाँव में रहकर ही काम कर पाईं।
7. **काम की उपलब्धताः** हालांकि बहुत से लोगों को 100 दिन का काम मिला, फिर भी आधे से अधिक लोग इससे वंचित रहे, जो कार्यक्रम की पूर्णता और कार्यान्वयन में चुनौतियों का संकेत देता है।
8. **समय पर भुगतानः** मनरेगा के तहत भुगतान में देरी भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभरती है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
9. **आजीविका का समाधानः** प्रस्तुत शोध से यह स्पष्ट है कि मनरेगा ने सभी की आजीविका समस्या का समाधान नहीं किया, विशेषकर बड़ी संख्या में लोग इसे अपर्याप्त मानते हैं।

इस डेटा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मनरेगा ने कुछ हद तक प्रवासन को रोका और स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान किया, लेकिन 100 दिनों के काम और समय पर भुगतान जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

तालिका 02

आयु वर्ग	दलित महिलाएं (N=40)	दलित पुरुष (N=60)	कुल (N=100)
18–25	08	16	24
26–35	12	14	26
36–45	10	11	21
46–55	06	12	18
56+	04	07	11

(स्रोतः प्राथमिक डाटा)

परिणाम एवं चर्चा

तालिका 02 का डाटा का विश्लेषण

1. **सबसे अधिक रोजगार प्राप्त आयु वर्गः** 26–35 आयु वर्ग में सबसे अधिक रोजगार प्राप्त हुआ है, जहां कुल 26 लोगों को रोजगार मिला है।
2. **सबसे कम रोजगार प्राप्त आयु वर्गः** 56+ आयु वर्ग में सबसे कम रोजगार प्राप्त हुआ, जहां कुल 11 लोगों को रोजगार मिला है।
3. **पुरुषों और महिलाओं में रोजगार का वितरणः** प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, हालांकि 26–35 और 36–45 आयु वर्ग में यह अंतर बहुत अधिक नहीं है।

इस तालिका से यह स्पष्ट है कि मनरेगा के तहत विभिन्न आयु वर्गों में दलित पुरुषों और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, और इनमें महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय है, विशेष रूप से 26–35 आयु वर्ग में जो सबसे अधिक प्रवासी वर्ग होता है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दलित युवा वर्ग में मनरेगा के क्रियान्वयन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

1. **रोजगार की उपलब्धता:** मनरेगा ने ग्राम सभा परासी कलां में रोजगार की उपलब्धता बढ़ाई है, जिससे मजदूरों को स्थानीय स्तर पर काम मिलने लगा है। यह प्रवासन को कम करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है।
2. **आय में वृद्धि:** मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है, जिससे उनकी वार्षिक आय में वृद्धि हुई है।
3. **जीवन स्तर में सुधार:** स्थानीय रोजगार के कारण मजदूर अब अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
4. **प्रवासन में कमी:** मनरेगा ने प्रवासन को काफी हद तक कम किया है, क्योंकि मजदूरों को अब अपने गांव में ही रोजगार मिल रहा है।
5. **समस्याएं और चुनौतियां:** हालांकि मनरेगा ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, लेकिन कई बार मजदूरी का समय पर भुगतान न होना और काम की कमी जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। इससे प्रवासन को पूरी तरह से रोकने में अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिशें जो प्रवासन रोकने में प्रभावी हो सकती हैं:
   - मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
   - मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
   - ग्राम पंचायतों को मनरेगा के कार्यान्वयन में अधिक जागरूकता और पारदर्शिता अपनाने की आवश्यकता है।
   - मजदूरों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।

मनरेगा से पहले, अधिकांश दलित मजदूर रोजगार की तलाश में चंदौली जिले से बाहर अन्य प्रदेशों में प्रवास करते थे। मुख्यतः ये मजदूर कृषि कार्यों में संलग्न होते थे या फिर निर्माण कार्यों में शामिल होते थे। प्रवासन के दौरान इन मजदूरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जैसे असुरक्षित रोजगार, न्यूनतम मजदूरी, परिवार से दूर रहना,स्वास्थ्य सेवाओं की कमी इत्यादि।

इस अनुभवमूलक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा ने चंदौली जिले के दलित मजदूरों के प्रवासन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन मनरेगा ने मजदूरों के जीवन में स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। प्रवासन में कमी लाने में यह योजना प्रभावी साबित हुई है, लेकिन इसके पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए इसे और अधिक कुशलता से लागू करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की मनरेगा की वार्षिक रिपोर्ट (2023)।
2. चंदौली जिला श्रम कार्यालय की रिपोर्ट (2022)।
3. मान, एन; पांडे वी. (2012) मनरेगा समीक्षा; राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर शोध अध्ययनों का एक संकलन, 2006–2012, ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. Ministry of Rural Development (2008) The National Rural Employment Guarantee Act 2005, Operation Guidelines 3rd edition, Government of India, New Delhi.
5. Mathur L. (2009) Silent but successful initiative, *The Hindu,* 1st s March, 2009, p. 14.
6. Khera R. (2008) Empowerment Guarantee Act., *Economics and Political Weekly,* August 2008, Vol 43, Issue 35, p 48-51.

****